न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2020	2020/00024	30.06.2020	18.09.2020

श्री रामलाल पिता उदयलाल जणवा निवासी जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी

: – प्रार्थी/निगरानीकार

–: बनाम :–

1 स्व. श्री भोपराज पिता शंकरलाल जाति नगारची निवासी जलोदाजागीर (फौत के बजाय)
(1) श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भोपराज नगारची
(2) श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री भोपराज नगारची
(3) श्री देवीलाल पुत्र श्री भोपराज नगारची
(4) श्री माया देवी पुत्री श्री भोपराज नगारची
(5) श्री दुर्गा बाई बेवा श्री भोपराज नगारची
समस्त निवासीयान जलोदा जागीर तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2 कन्हैयालाल पिता डालचन्द जाति जणवा निवासी जलोदाजागीर
3 डालचन्द पिता हमेरा जाति जणवा निवासी जलोदाजागीर तहसील छोटीसादडी
4 विकास अधिकारी छोटीसादडी

:– अप्रार्थी /विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध आबादी पट्टा विलेख क्रमांक 44 दिनांक 05.11.2009 द्वारा ग्राम पंचायत जलोदा जागीर प.स. छोटीसादडी

उपस्थिति :–
1 श्री बी.एल. जैन– प्रार्थी
2 श्री गोपाल कुमावत –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

–: आदेश :– दिनांक 18.09.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध आवासीय पट्टा विलेख क्रमांक : 44 जरिये मिसल संख्या 29/2008–09 दिनांक 05.11.2009 ग्राम पंचायत जलोदा जागीर के संबध में प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया था कि :–

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

1. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख कमांक : 44 में वर्णित आबादी भूमि (भूखण्ड) की भूमि प्रार्थी के मकान के बाहर खाली पडी आबादी भूमि होकर उक्त भूमि (भूखण्ड) पर विगत 25 वर्षों से प्रार्थी का कब्जा होकर प्रार्थी का उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग अपने पशुगृह एवं रोडी डालने के काम में ली जा रही थी।
2. यह कि विपक्षी संख्या 1(आवंटी) ग्राम पंचायत (जलोदा जागीर) के वार्ड संख्या 7 का निवासी होकर उसके पास वार्ड संख्या 7 में अपना पुश्तेनी मकान होते हुए भी इस विवादित भूमि (भूखण्ड) का आवासीय पट्टा प्राप्त किया गया है।
3. यह कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा इसी भूमि भू–खण्ड के सहभाग में 1880 वर्गफीट का पट्टा विलेख विपक्षी संख्या 3 के माध्यम से पूर्व में प्राप्त किया गया था तथा अवशेष भूमि (भूखण्ड) पर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 को प्राप्त किया गया है जबकि विपक्षी संख्या 3 के इन तथ्यों की जानकारी होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 को उसी भूमि में नवीन पट्टा विलेख जारी किया गया है।
4. यह कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी निःशुल्क पट्टा विलेख के पंचायतीराज नियमानुसार प्रारूप 21 (ग) (अहस्तान्तरणीय प्रकृति) के बजाय प्रारूप 21 में जारी किया गया जिससे विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा विलेख पट्टे की भूमि को जरिये पंजिकृत विकय विलेख दिनांक 21.07.2011 से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विकित कर दिया है जबकि उक्त भूमि (भूखण्ड) पर प्रार्थी का कब्जा रहा है।
5. यह कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी दोहरे पट्टा विलेख पत्रों तथा अवैधानिक हस्तानान्तरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत जलोदाजागीर तथा पंचायत समिति छोटीसादडी के सक्षम स्तरों से जानकारी हेतु दस्तावेज प्राप्त करने चाहे किन्तु विपक्षीगण के राजनैतिक दबाव में नकले प्राप्तनहीं हो सकी। बामुश्किल नकले प्राप्त नहीं हो सकी बामुश्किल नकल प्रतियां प्राप्त होते ही प्रार्थी क्षरा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
6. यह कि विपक्षी संख्या 3 के सरपंच रहते उसके द्वारा अपने हितेषी विपक्षी संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत तथा उक्त भूमि (भूखण्ड) को हथियाने की नियत से उक्त पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित कर उक्त पट्ट विलेख की भूमि को विपक्षी संख्या 2 के नाम से कम कर ली गई है। इस सम्पूर्ण घटना कम में विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पंचायतीराज नियम 158 (3) की शर्तों का खुला उल्लंघन किया जाकर आवासीय पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 जारी किया गया है जो खारीज योग्य है।

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत जलोदा जागीर द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 05.11.2009 को निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी जरिये प्रकरण संख्या 11/2016 से दर्ज रिकार्ड होकर उक्त निगरानी न्यायालय हाजा स्तर से निम्न प्रक्रियाओं उपरान्त दिनांक 10.03.2017 को निर्णित हुई।

" उक्त प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं पारीत निर्णय दिनांक 10.03.2017 के अनुसार दौराने बहस वकील निगरानीकार द्वारा निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तथा विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक अप्राप्ति पत्र का खण्डन करते हुए बहस लिखित प्रस्तुत की जाकर मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में एक आवासीय पट्टा विलेख दिनांक 20.01.2009 को जारी किया जाने उपरान्त पुनः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में नवीन पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 को जारी किया जाकर

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

पंचायतीराज नियमों की अवहेलना की गई है तथा द्वितीय पट्टा विलेख की भूमि सड़क के मध्य से मात्र 10 फीट की दूरी पर स्थित होने से ऐसी भूमि भूखण्ड का आवासीय पट्टा विलेख जारी किया जाना अन्यायोचित रहा है।

साथ ही निवेदन किया कि पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 (3) के तहत जारी होने वाले आवासीय पट्टा विलेख प्रारूप 21 (ग) के तहत जारी होने चाहिए किन्तु विपक्षी संख्या 3 द्वारा उक्त पट्टा विलेख के निःशुल्क प्रकृति का होते हुए भी प्रारूप 21(ग) के बजाय जानबुझ कर प्रारूप 21 में जारी किया गया जिससे उक्त पट्टे का बेचान विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में किया जाकर विपक्षी संख्या 3 व 1 द्वारा अनैतिक लाभ कमाने की नियति के साथ पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 निष्पादित कराया है जो अपास्त योग्य है।

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जावे प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनस्थ से मूल पत्रावली तलब की गई जिस पर अप्रार्थी/विपक्षी के बाद तामिल रिपोर्ट विपक्षीगण की ओर से वकील श्री गोपाल कुमावत उपस्थिति हो प्रारम्भिक आपत्ति बाबत् निगरानी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है तथा अधीनस्थ से प्राप्त मूल पत्रावली रिकार्ड पर रखी गई।

इसी प्रकम में दौराने बहस वकील विपक्षी द्वारा निगरानी में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए एवं प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.02.2009 को नियमानुसार आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा सरे आबादी रिक्त पडी आवासीय भूमि में से 30 ग 30 वर्गफीट का एक भूखण्ड विपक्षी संख्या 1 के अनुसूचित जाति संवर्ग का सदस्य होने से उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करते हुए संकल्प पत्र के आधार पर पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 को जारी किया गया है। उक्त भूमि (भूखण्ड) पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं रहा है तथा प्रार्थी किसी भी प्रकार से उक्त भूमि (भूखण्ड) का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था और न है उसके द्वारा उक्त भूमि (भूखण्ड) के पट्टे प्राप्ति हेतु भी कोई आवेदन नहीं किया गया था।

साथ ही निवेदन किया गया कि पंचायतीराज नियमावली अनुसार ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में विरोधाभासी स्थिति के चलते किन्हीं भी पक्षकारों द्वारा 30 दिवस के भीतर अपील/आपत्ति किया जाना अनिवार्य माना गया है। जबकि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी वर्ष 2009 में जारी पट्टा विलेख के संबंध में वर्ष 2016 अर्थात् 7 वर्षों के उपरान्त निगरानी प्रस्तुत किये जाने तथा निगरानी किन्हीं भी बिन्दुओं पर पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमावें।

इसी कम में वकील निगरानीकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर निवेदन करते हुए माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायिक विनिश्चय हेतु 2013(1) DNJ (Raj) तथा 2012(2) DNJ (raj) को हवाला प्रस्तुत करते हुए विलम्ब के आधार पर निगरानी निर्णय से बाधित नहीं मानते हुए

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

निगरानी के मेरिट आधार पर निर्णय की मांग की जाकर प्रकरण निस्तारण हेतु निवेदन किया। इस संबंध में वकील विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति दर्शित नहीं करते हुए प्रकरण मेरिट आधार पर निर्णित करने में अभिस्वीकृति प्रदान की गई।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी दिनांक 03.06.2016, प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 22.07.2016, विवादित पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009, पट्टा विलेख दिनांक 20.01.2009, पंजिकृत विकय पट्टा विलेख दिनांक 21.07.2011, जांच प्रतिवेदन ग्राम पंचायत गागरोल एवं सहायक अभियंता पंचायत समिति छोटीसादडी तथा पंचायत प्रसार अधिकारी छोटीसादडी, लिखित बहस दिनांक 06.03.2017 के साथ–साथ पत्रावली पर उपलब्ध विविध दस्तावेजों एवं अधिनस्थ से तलब मूल पट्टा आवंटन पत्रावली मिसल संख्या 29 दिनांक 05.11.2009 तथा प्रकरण में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के साथ–साथ प्रकरण पर लागु प्रभावी समस्त अधिनियमों/नियमों का भी गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात होता है कि प्रकरण में विवादित पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 के संबंध में एक प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र प्रकरण के प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा विकास अधिकारी छोटीसादडी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में विकास अधिकारी, छोटीसादडी द्वारा जारी आदेश क्रमांक :– 389 दिनांक 18.09.2013 से ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत गागरोल एवं सहायक अभियन्ता पंचायत समिति, छोटीसादडी तथा पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति छोटीसादडी द्वारा उक्त विवादित पट्टा विलेख के संबंध में जांच रिपोर्ट चाही गई थी।

जिसके क्रम में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अन्तिम निष्कर्ष पैरा अन्तर्गत उनके द्वारा विवादित पट्टा विलेख दिनांक 05.11.2009 को नियमानुसार होना जाहीर किया गया है तथा इसी क्रम में विकास अधिकारी छोटीसादडी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतापगढ़ का प्रेषित पत्र कमांक/पंसछोसा /जांच /2015 /2104 दिनांक 11.01.2015 के अनुसार भी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 05.11.2009 को उचित बताया गया है।

साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में विवादित पट्टा विलेख को विपक्षी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2011 से विपक्षी संख्या 2 को विक्रित किया जाना भी प्रकट हुआ है।

प्रकरण में विहित विवाद्यकों एवं वाद कारको तथा विवाद की विषय वस्तु के संबंध में समान पक्षकरान के मध्य एक प्रकरण पूर्व से ही अधिनस्थ संस्था (पंचायत समिति, छोटीसादडी) के समक्ष विचाराधीन होना जाहिर आया है। जिस अन्तर्गत विकास अधिकारी छोटीसादडी द्वारा की गई जांच अनुरूप प्रकरण में आगामी कार्यवाही प्रकरण के उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए किया जाना अपेक्षित रहा है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

यद्यपि प्रकरण के प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय (संस्था) पंचायत समिति छोटीसादडी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधिनस्थ द्वारा कोई निर्णायन प्रकरण में पारित नहीं किये जाने से प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा यह निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है जिससे प्रकरण के पक्षकरान के न्यायिक हितों की संरक्षा एवं शीघ्र सुलभ न्याय हेतु विधिशास्त्र की पालना के क्रम में प्रकरण के अन्तिम विनिश्चय की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61 के तहत् ग्राम पंचायत के किन्हीं भी आदेशों/संकल्प पत्रों अथवा प्रस्ताव पत्रों के संबंध में श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्रदत्त होने से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः निगरानी निगरानीकार आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ संस्था (पंचायत समिति छोटीसादड़ी) को प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण के उभयपक्ष को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण आधार पर यथाशीघ्र निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय दिनांक 10.03.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। "

न्यायालय से निर्णित निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रकरण संख्या 11/2016 निर्णय दिनांक 10.03.2017 की पालना प्रत्यायोजन हेतु न्यायालय से जारी पत्रांक :– सरिश्ता/विविध /2017/598–599 दिनांक 10.04.2017 के क्रम में विकास अधिकारी, छोटीसादड़ी के पत्र क्रमांक :– प.स.छो.सा./2020–21/1415 दिनांक 08.06.2020 के द्वारा प्रतिवदेन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय से निर्णित प्रकरण संख्या 11/2016 अन्तर्गत पारीत आदेश दिनांक 10.03.2017 के निर्णायक अन्तिम पैरा "अतः निगरानी निगरानीकार आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ संस्था (पंचायत समिति छोटीसादड़ी) को प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण के उभयपक्ष को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण आधार पर यथाशीघ्र निर्णय पारित करें " के क्रम में तथ्यात्मक निवेदन निम्नानुसार है :–

1. यह कि न्यायालय के आदेश की पालना में भोपराज पुत्र श्री शंकरलाल नगारची तथा रामलाल पुत्र श्री उदयलाल जणवा निवासी जलोदाजागीर को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री भोपराज की दिनांक 18.02.2019 को मृत्यु होने के क्रम में उनके पुत्र आदि द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया। (दोनों पक्षों के बयान संलग्न है।)
2. प्रकरण में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में कुछ तथ्य स्पष्ट नियम विरूद्ध परिलक्षित होते हैं।

(i) सर्व प्रथम श्री भोपराज नगारची को नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया। परन्तु नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं उनको पट्टा जारी किया जा सकता है। जबकि श्री भोपराज नगारची द्वारा उसी वर्ष 2009 में अपने पुश्तैनी मकान का 1880 वर्गफीट का पट्टा पंचायत से प्राप्त किया था। अपात्र व्यक्ति को जारी किये जाने के कारण पट्टा नियम विरूद्ध है।

(ii) राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 के अन्तर्गत जारी पट्टा गृहविहिन कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर जारी किया जाता है और इसलिये उक्त पट्टा अहस्तांतरणीय

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

होता है इसे पट्टा प्रारूप 23 ग में जारी किया जाना होता है। परन्तु पट्टा प्रारूप 23 में जारी किया गया जो नियम विरूद्ध है।

(iii) राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 में जारी पट्टे का विक्रय किया जाना भी राजस्थान पंचायती राज नियम की भावना के अनुरूप नहीं है।

साथ ही निवेदन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 एवं 97 के तहत् पंचायतीराज संस्था के संकल्प को रद् या निलम्बित कराने अथवा पंचायतीराज संस्था संबंधित अभिलेख जिसमें पारीत किसी भी विनिश्चय या आदेश को सही करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास पुरीक्षण एवं पुर्नविलोकन की शक्ति निहित है। जिसके आधार पर पंचायत समिति छोटीसादड़ी उक्त कृत्यों हेतु सक्षम संस्था नहीं होने से प्रकरण निर्णायार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रेषित है।

विकास अधिकारी छोटीसादडी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण पुनः अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर उभय पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी/विपक्षी संख्या 2 व 3 कि ओर से अधिवक्ता श्री गोपाललाल कुमावत उपस्थित हो प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में विहित विवाद्यकों के संबंध में निगरानीकार द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है जो जरिये प्रकरण संख्या S.B. CWP No. 4101/2017 विचाराधीन हो उक्त याचिका की आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 13.07.2020 नियत है अतः माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आस्थगित फरमावें। प्रकरण के अन्य पक्षकार मृत्तक श्री भोपराज के वारीसान अप्रार्थी/विपक्षी संख्या 1(1) से (5) के समन बाद चस्पा रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रकरण में अप्रार्थी/विपक्षी संख्या 2 व 3 कि ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 08.07.2020 की प्रति निगरानीकार को उपलब्ध कराई गई तथा पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई, प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 11.09.2020 के दौरान निगरानीकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत याचिका संख्या S.B. CWP No. 4101/2017 जरिये APPLW NO. 01/2020 के द्वारा विड्रा आवेदन से विड्रा चाहा जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा विड्रा आवेदन दिनांक 08.09.2020 को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 का निर्णय श्रीमान स्तर से निर्णित फरमावें।

प्रकरण के अप्रार्थी/विपक्षीगण को बार बार आवाज दिलाई गई किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं अतः अप्रार्थी/विपक्षीगण संख्या 1(1) से 1(5) तथा 2 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने पूर्व न्यायहित में अन्तिम अवसर के साथ तथा प्रकरण मेरिट आधार पर निर्णित करने हेतु अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 18.09.2020 को नियत की गई।

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी/विपक्षीगण संख्या 1(1) से 1(5) तथा 2 व 3 कि ओर से कोई उपस्थित नहीं अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में उपलब्ध समुचित रिकार्ड एवं पूर्व निर्णित पत्रावली/निगरानी संख्या 11/2016 एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2020 एवं विवादित पट्टा पत्रावली मिशल संख्या 29/2009 तथा प्रकरण में प्रचलित विधियों का गहन अध्ययन एवं अवलोकन किये जाने पर ज्ञात हुआ कि :-

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत निगरानी में विवादित पट्टा विलेख कमांक 44 दिनांक 05.11.2009 सर्व प्रथम श्री भोपराज नगारची को नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया। परन्तु नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं उनको पट्टा जारी किया जा सकता है। जबकि श्री भोपराज नगारची द्वारा उसी वर्ष 2009 में अपने पुश्तैनी मकान का 1880 वर्गफीट का पट्टा पंचायत से प्राप्त किया था। अपात्र व्यक्ति को जारी किये जाने के कारण पट्टा नियम विरूद्ध है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 के अन्तर्गत जारी पट्टा गृहविहिन कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर जारी किया जाता है और इसलिये उक्त पट्टा अहस्तांतरणीय होता है इसे पट्टा प्रारूप 23 ग में जारी किया जाना होता है। परन्तु पट्टा प्रारूप 23 में जारी किया गया जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 में जारी पट्टे का विक्रय किया जाना भी राजस्थान पंचायती राज नियम की भावना के अनुरूप नहीं है। यह तथ्य रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों तथा विकास अधिकारी छोटीसादडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2020 के द्वारा संपुष्ट होते है। साथ ही प्रकरण में नियम 148 अन्तर्गत जारी आम सुचना पत्र के चस्पांगन का भी अभाव पाया गया जिससे उक्त पट्टा विलेख की भूमि के संबंध में आपत्तियां अप्राप्त रही। अधिनस्थ विकास अधिकारी द्वारा पट्टा धारक के वारीसान की दौराने सुनवाई हेतु लिये गये बयान लिखित कथन दिनांक 17.03.2020 अन्तर्गत अप्रार्थी/विपक्षीगण द्वारा उक्त विवादित पट्टा खारिज किये जाने में कोई आपत्ति दर्शित नहीं की गई। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित पट्टा विलेख 44 दिनांक 05.11.2009 पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में विहित प्रावधानों के विपरीत जारी हुआ है।

अतः निगरानी निगरानीकार अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत् मेरिट आधार पर सिद्ध योग्य पाए जाने से ग्राम पंचायत जलोदा जागीर द्वारा जरिये मिशल संख्या 29/2009 के द्वारा जारी विवादित पट्टा विलेख क्रमांक 44 दिनांक 05.11.2009 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner